ऑन लाईन नं.RCMS2023/97

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.**

**न्याय निर्णयन आवेदन सं0 49/2023**

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक— **मै0** भारत मिल्क हाउस, अग्रसेन नगर, गुरूद्वारा के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

**अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा**

**एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51**

**निर्णय** दिनांक : **23.05.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः—आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.01.2023 को बाद दोपहर 1.15 बजे का **मै0** भारत मिल्क हाउस, अग्रसेन नगर, गुरूद्वारा के पास, श्रीगंगानगर,जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विकेता राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **गाय का दूध** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में लगभग 15 लीटर **गाय का दूध** को आमजन के विकय वास्ते होना बताया। **गाय का दूध** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गाय का दूध** 2 लीटर विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 90/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध** 2 लीटर को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के—1621** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के—1621** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./51/Act/2023/47 Dated 27-01-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1621 Sub- Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा **मै0** भारत मिल्क हाउस, अग्रसेन नगर, गुरूद्वारा के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की मैसर्स भारत मिल्क हाउस, अग्रसेननगर, गुरूद्वारा के पास, श्रीगंगानगर में छोटी सी दुकान भारत मिल्क हाउस के नाम से व्यवसाय कर रखा है। मेरे द्वारा दूध बेचने वाले दोधियों से दूध कय किया जाता है और कय किये गये दूध में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, जबकि मुझ प्रार्थी ने नया व्यवसाय किया होने के कारण मुझ प्रार्थी को दुध सम्बन्धी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है ,जबकि मुझ प्रार्थी द्वारा जानबूझकर किसी मिलावटी दूध को खरीद नहीं किया गया है। केवल मात्र मुझ प्रार्थी द्वारा नया व्यवसाय किये जाने पर जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है तथा मुझ प्रार्थी द्वारा भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं की जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी की जानकारी के अभाव में हुई गलती को क्षमा किया जाने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-1621** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./51/Act/2023/47 Dated 27-01-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की मैसर्स भारत मिल्क हाउस, अग्रसेननगर, गुरूद्वारा के पास, श्रीगंगानगर में छोटी सी दुकान भारत मिल्क हाउस के नाम से व्यवसाय कर रखा है। मेरे द्वारा दूध बेचने वाले दोधियों से दूध कय किया जाता है और कय किये गये दूध में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, जबकि मुझ प्रार्थी ने नया व्यवसाय किया होने के कारण मुझ प्रार्थी को दुध सम्बन्धी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है ,जबकि मुझ प्रार्थी द्वारा जानबूझकर किसी मिलावटी दूध को खरीद नहीं किया गया है। केवल मात्र मुझ प्रार्थी द्वारा नया व्यवसाय किये जाने पर जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है तथा मुझ प्रार्थी द्वारा भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं की जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी की जानकारी के अभाव में हुई गलती को क्षमा किया जाने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-1621, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 7,000–00 (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा खा़द्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

**(डा. हरीतिमा)**
**न्याय निर्णायक अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)**
**श्रीगंगानगर।**